Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
Sunil Kumar Tiwary
9431085120

Joint Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No .... Date ....

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

विषयः– **बिहार कारा सेवा के अनुरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को भी 01.01.1996 के प्रभाव से 6500–10500 का वेतमान 8000–13500 स्वीकृत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि C.W.J.C. No.–22597/2012 सुरेन्द्र कुमार अम्बष्ट एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में न्यायादेश से आच्छादित बिहार कारा सेवा के कुल 16 पदाधिकारियों को दिनांक–01.01.1996 से स्वीकृत वेतनमान 8000–13500 के अनुरूप वेतनमान दिये जाने हेतु कार्रवाई की जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No.–22597/2012 सुरेन्द्र कुमार अम्बष्ट एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1274 दिनांक–12.02.2019 द्वारा न्यायादेश से आच्छादित बिहार कारा सेवा के 16 पदाधिकारियों को 01.01.1996 के प्रभाव से मूल कोटि का वेतनमान 6500–10500/– को संशोधित कर 8000–13500/– स्वीकृत किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए–2 वे.पु.–16/09–630 दिनांक 21 जनवरी, 2010 (पृ.–123–114/प.) द्वारा बिहार कारा सेवा को 01.01.1996 के प्रभाव से निम्न वेतनमान अनुमान्य किया गया था:–

क्र.	पदनाम	पे–स्केल
1.	अधीक्षक, उपकारा	6500–10500
2.	अधीक्षक, मंडल कारा	8000–13500
3.	अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/सहायक कारा महानिरीक्षक	10000–15200

दूसरी ओर राज्य की प्रीमियर सेवा यथा– बिहार प्रशासनिक सेवा का वेतनमान दिनांक 01.01.1996 को निम्न प्रकार निर्धारित था:–

क्र.	पदनाम	पे–स्केल
1.	मूल (कोटि)	6500–10500
2.	उप सचिव (कोटि)	10000–15200
3.	अपर समाहर्त्ता (कोटि)	12000–16500
4.	संयुक्त सचिव/उपर सचिव (कोटि)	14300–18300
5.	विशेष सचिव (कोटि)	16400–20000

O/C

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No.–22597/2012 सुरेन्द्र कुमार अम्बष्ट एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–01.01.1996 को बिहार कारा सेवा के मूलकोटि में कार्यरत 16 पदाधिकारियों का वेतनमान विभागीय संकल्प 1274 दिनांक 13.02.2019 द्वारा 6500–10500 के स्थाना पर 8000–13500 संशोधित करने के फलस्वरूप बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का वेतनमान 01.01.1996 को 6500–10500 रह गया। इस प्रकार बिहार कारा सेवा के संशोधित वेतनमान प्राप्त करने वाले 16 पदाधिकारियों का वेतनमान राज्य प्रीमीयर सेवा के भी सभी पदाधिकारियों के वेतमान से भी काफी अधिक हो गया।

5. उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.01.1996 से पूर्व राज्य के प्रीमीयर सेवा यथा–बिहार प्रशासनिक सेवा का वेतनमान अधिक होने तथा प्रोन्नति के अवसर बेहतर होने के कारण इन सेवाओं में उच्चतर मेघा क्रम वाले अभ्यार्थियों की नियुक्ति हुई थी। परन्तु रिट याचिका संख्या–22597/2015 से अच्छादित बिहार कारा सेवा के 16 पदाधिकारियों का वेतनमान संशोधित हो जाने के फलस्वरूप उन से कई वर्ष वरीय बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के वेतनमान से भी उनका वेतनमान काफी अधिक हो गया है।

6. ज्ञातव्य हो कि 1996 में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति 2200 के वेतनमान में होती थी, जबकि कारा सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति 2000 के वेतनमान में होती थी। अब स्थिति यह है कि कारा सेवा के पदाधिकारियों का वेतनमान बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों से अधिक हो गया है।

7. अतः बिहार मुकदमा नीति 2011 की कंडिका–4(7) के आलोक में दिनांक 01.01.1996 को राज्य प्रीमीयर सेवा यथा–बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को 6500–10500 के स्थान पर 8000–13500 रूपये का संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने के बिन्दु पर नीतिगत निर्णय लेने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/– 10/6/20

(अनिल कुमार)

विश्वासभाजन

ह०/–

(शंशाक शेखर सिन्हा)

ज्ञापांकः– 71 / दिनांक– 10-6-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

10/6/20

(अनिल कुमार)

विश्वासभाजन

(शंशाक शेखर सिन्हा)

O/C